

समाप्त करवाये परमाणु  
का

दि. 40/2022

19/6/24

पत्राचार विभाग वीरे / वावका  
डी. ए. ए. मन्त्री भवन  
पत्रांक 84/1/24  
को पत्र सं. 1/1/24

24/6/24 वकील वाडी कंपनी वकील वाडी के मुआवजे के  
पुरेमत रिपोर्ट प्राप्त हुआ है जो शा. वि.  
के पत्रावली वास्तु वकील पुरेमत के  
दिनांक 05/6/24 को पत्र सं. 1/1/24

05/7/24 वकील वाडी कंपनी वकील वाडी के मुआवजे के  
पुरेमत के अनुसार अंतिम रिपोर्ट को  
जाने हेतु निकाल दिया। पत्रावली के  
पुरेमत रिपोर्ट को उपलब्ध किया।  
मुआवजे पुरेमत रिपोर्ट के अनुसार वाडी  
को वाड दिया गया - शा. वि.  
प्रति हेतु हेतु वाडी को वाड  
अंतिम रिपोर्ट को जमा किया जाता हेतु किस्म  
रिपोर्ट प्रकाश से किया जाकर शा. वि.  
दिया गया। पत्रावली के अनुसार मुआवजे  
के अनुसार हेतु हेतु वाडी के अनुसार  
वाडी

सहायक कलक्टर  
वीरे (जयपुर)

--	--	--	--

गु0रॉ0-40/2022

उनवान-सीता देवी बनाम पप्पूलाल व अन्य  
निर्णय दिनांक:-05.07.2024

## न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं, जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

### उनवान

श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व0 श्री रामेश्वर पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण, उम्र 50 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीया-

### बनाम

1. पप्पूलाल पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर
2. रामदेव पुत्र गंगल्या
3. श्रवण पुत्र गंगल्या  
समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार, तहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर (राज0)।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
8. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल परिवर्तित भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
9. ओरीयन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स हाल परिवर्तित पंजाब नेशनल बैंक, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।
10. ओरीयन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स हाल परिवर्तित पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कालाडेर, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

### वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

### निर्णय

दिनांक:-05.07.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील वादीया को सुना गया। वकील वादीया द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांकित 08.05.2024 पर सहमति जताते हुए वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 08.05.2024 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मलिकपुर, पटवार हल्का मलिकपुर, तहसील चौमूं, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ़, जिला जयपुर में स्थित खाता सं0 152 के खसरा नं0 1830 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 1831 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 1833 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 1837 ढाणी रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1838 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 1839 कुआ रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 1840 रकबा 1.09 है0, कुल किता 7 का कुल रकबा 3.66 हैवटेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:-

सहायक कलक्टर  
चौमूं (जयपुर)

सीता देवी पुत्री रामेश्वर, जाति रैगर, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1830/2 रकबा 0.1340 है0, खसरा नं0 1831/2 रकबा 0.0543 है0, खसरा नं0 1838/1 रकबा 0.1817 है0; खसरा नं0 1840/1 रकबा 0.2400 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.6100 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।

2. पपूलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/5, रामदेव पुत्र गंगल्या हिस्सा 2/5 रहन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा चौमूं, श्रवण पुत्र गंगल्या हिस्सा 2/5 रहन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा कालाडैरा, कौम रैगर सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1837 (द्वणी) रकबा 0.0400 है0, खसरा नं0 1838/2 रकबा 0.2783 है0, खसरा नं0 1839 (कुआ) रकबा 0.0100 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.3283 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शायी गई है।
3. पपूलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1693/27217, मिश्री देवी पत्नी नन्दकिशोर हिस्सा 1875/27217, रेखा देवी पत्नी भगवानसहाय हिस्सा 1875/27217, रामदेव पुत्र गंगल्या हिस्सा 10887/27217 रहन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा चौमूं, श्रवण पुत्र गंगल्या हिस्सा 10887/27217 रहन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा कालाडैरा, कौम रैगर, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1830/1 रकबा 0.5960 है0, खसरा नं0 1831/1 रकबा 0.3457 है0, खसरा नं0 1833 रकबा 0.9300 है0, खसरा नं0 1840/2 रकबा 0.8500 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 2.7217 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो।

  
सहायक क्लर्क  
चौमूं (चौमूं)

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं, जिला जयपुर (ग्रामीण)**  
पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

**उनवान**

श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व0 श्री रामेश्वर पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण, उम्र 50 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीया-

**बनाम**

1. पप्पूलाल पुत्र स्व0 श्री. रामेश्वर
2. रामदेव पुत्र गंगल्या
3. श्रवण पुत्र गंगल्या  
समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार, तहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर (राज0)।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
8. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल परिवर्तित भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स हाल परिवर्तित पंजाब नेशनल बैंक, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।
10. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स हाल परिवर्तित पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कालाडेरा, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

**वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**मुकदमा नम्बर :-40/2022**

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीया मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि वाके ग्राम मलिकपुर, पटवार हल्का मलिकपुर, तहसील चौमूं, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ़, जिला जयपुर में स्थित खाता सं0 152 के खसरा नं0 1830 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 1831 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 1833 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 1837 ढाणी रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1838 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 1839 कुंआ रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 1840 रकबा 1.09 है0, कुल किता 7 का कुल रकबा 3.66 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 08.05.2024 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

1. सीता देवी पुत्री रामेश्वर, जाति रैगर, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1830/2 रकबा 0.1340 है0, खसरा नं0 1831/2 रकबा 0.0543 है0, खसरा नं0

सहायक कलक्टर  
चौमूं (जयपुर)

- 1838/1 रकबा 0.1817 है0, खसरा नं0 1840/1 रकबा 0.2400 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.6100 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।
2. पप्पूलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/5, रामदेव पुत्र गंगल्या हिस्सा 2/5 रहन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा कालाडेरा, कौम रैगर सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1837 (ढाणी) रकबा 0.0400 है0, खसरा नं0 1838/2 रकबा 0.2783 है0, खसरा नं0 1839 (कुंआ) रकबा 0.0100 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.3283 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शायी गई है।
3. पप्पूलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1693/27217, मिश्री देवी पत्नी नन्दकिशोर हिस्सा 1875/27217, रेखा देवी पत्नी भगवानसहाय हिस्सा 1875/27217, रामदेव पुत्र गंगल्या हिस्सा 10887/27217 रहन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा कौम, श्रवण पुत्र गंगल्या हिस्सा 10887/27217 रहन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा कालाडेरा, कौम रैगर, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1830/1 रकबा 0.5960 है0, खसरा नं0 1831/1 रकबा 0.3457 है0, खसरा नं0 1833 रकबा 0.9300 है0, खसरा नं0 1840/2 रकबा 0.8500 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 2.7217 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरात मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 05.07.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.....  
ओहदा.....

## वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	0
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
8. मुतफरिक		7. मुतफरिक	
जोड़	6	जोड़	0